तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स पीठासीन अधिकारी के लघु हस्ताक्षर सहित आदेश कृष्ण व अन्य बनाम सरकार जमानत प्रा0 पत्र संख्या 71/2026 एन0सी0वी0 नंबर 90/2026 एफआईआर नम्बर 57/2026 थाना शाहपुरा, जिला जयपुर सी0एन0आर0 नंबर -	नम्बर व तारीख जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
13.03.2026	1. अपर लोक अभियोजक उपस्थित। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण कृष्ण कुमार रोलानिया, विकास, कनिष्क व विजय कुमार की ओर से अधिवक्ता श्री सुनील कुमार सैनी उपस्थित। परिवादी की ओर से अधिवक्ता श्री धर्मेन्द्र सिंह चौहान उपस्थित। 2. प्रार्थीगण/अभियुक्तगण कृष्ण कुमार रोलानिया, विकास, कनिष्क व विजय कुमार की ओर से अधिवक्ता श्री सुनील कुमार सैनी द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 483 बी.एन.एस.एस. पर बल दिया गया। केस डायरी तलब की गयी। 3. बहस उभय पक्ष सुनी गयी। केस डायरी का अवलोकन किया गया। 4. प्रार्थना पत्र के संबंध में संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि, प्रथम सूचनाकर्ता/पीड़ित खेमचंद मीणा ने दिनांक 05.02.2026 को थानाधिकारी, पुलिस थाना शाहपुरा के समक्ष रिपोर्ट पेश कर जाहिर किया कि, दिनांक 02.02.2026 को शाम 06.30 पी.एम पर वह अपने गांव से घर जा रहा था। तभी रास्ते में एक कार नंबर 24 बी.एच.9138 जी सफेद रंग की आयी और उसे रास्ते में रोक लिया और प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित व्यक्तियों को प्रथम सूचनाकर्ता ने रास्ते में गाड़ी हटाने का निवेदन किया तो प्रथम सूचनाकर्ता को जातिसूचक शब्दों से अपमानित करते हुए मारपीट करना शुरू कर दिया..आदि। जिस पर थाना शाहपुरा पर मुकदमा संख्या 57/2026 अंतर्गत धारा 115(2), 126(2), 352 भारतीय न्याय संहिता व धारा 3–1(r)(s), 3–2(Va) Sc/St Act में दर्ज हुआ है। 5. विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण/अभियुक्तगण द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों की पुनरावृत्ति करते हुए	

विशेष न्यायाधीश
अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति
(अत्याचार निवारण) प्रकरण
जयपुर जिला, जयपुर

जाहिर किया है कि, प्रार्थीगण/अभियुक्तगण को प्रकरण में झूंठा फंसाया गया है। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण का अपराध से कोई सम्बन्ध व सरोकार नहीं है। प्रकरण के अनुसंधान में समय लगने की संभावना है। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण से सम्पूर्ण अनुसंधान हो चुका है। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण से किसी प्रकार की बरामदगी होना शेष नहीं है। प्रार्थीगण /अभियुक्तगण अपने परिवार में एक मात्र कमाने वाले व्यक्ति हैं, जिन्हें अधिक समय तक हिरासत में रखा गया तो प्रार्थीगण के परिवार को भूखे मरने की नौबत आ जाएगी। प्रकरण आजीवन कारावास या मृत्युदंड से दंडनीय नहीं है। अंत में प्रार्थीगण/अभियुक्तगण को जमानत पर रिहा किए जाने का निवेदन किया।

6. विद्वान अपर लोक अभियोजक व विद्वान अधिवक्ता परिवादी ने जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए समेकित रूप से कथन किया है कि प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के विरूद्ध प्रथम सूचनाकर्ता,जो कि अनुसूचित जाति का सदस्य है, को रोककर उसके साथ मारपीट कर चोटें कारित करने व गाली–गलौंच कर जातिसूचक शब्दों से अपमानित करने के गंभीर प्रकृति के अपराध के आरोप हैं। अतः अपराध की गंभीरता को देखते हुए प्रार्थना पत्र खारिज किए जाने का निवेदन किया।

7. प्रार्थना पत्र के संबंध में न्यायालय का मत इस प्रकार है कि प्रस्तुत तथ्यात्मक रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थीगण /अभियुक्तगण के विरूद्ध अब तक के अनुसंधान से धारा 115(2), 126(2), 352 भारतीय न्याय संहिता एवं धारा 3–1(r)(s), 3–2(Va) Sc/St Act का अपराध प्रमाणित होना दर्शित किया गया हैं। केस डायरी से प्रार्थीगण/ अभियुक्तगण विजय कुमार जाट, विकास रोलानिया एवं कनिष्क चौधरी उर्फ कृष्ण के विरूद्ध पूर्व का कोई आपराधिक रिकॉर्ड दर्शित नहीं है। अभियुक्त कृष्ण कुमार रोलानियां उर्फ अन्ना का आपराधिक रिकॉर्ड निम्नवत् दर्शित है–

(1) अभि.सं. 313/2018 दि0 13.10.2018 चार्जशीट

विशिष्ट न्यायाधीश
अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति
(अत्याचार निवारण) प्रकरण
जयपुर जिला, जयपुर

संख्या 177/2018 दिन 03.11.2018 धारा 379, 511 भादंसं. में, पुलिस थाना थोई, जिला सीकर में पंजीबद्ध है।

8. केस डायरी पर प्रथम सूचनाकर्ता/पीड़ित खेमचंद मीणा के चोट प्रतिवेदन से पीड़ित के शरीर पर दो साधारण प्रकृति की क्षति कारित होना दर्शित है। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण दिनांक 12.03.2026 से न्यायिक अभिरक्षा में है। प्रकरण के अनुसंधान एवं तत्पश्चात् विचारण में समय लगने की संभावना है। अतः न्यायालय समस्त तथ्यों, परिस्थितियों को देखते हुए प्रार्थीगण/अभियुक्तगण को प्रथम बार जमानत का लाभ दिया जाना उचित समझती है।

9. फलतः प्रार्थीगण/अभियुक्तगण कृष्ण कुमार रोलानिया, विकास, कनिष्क व विजय कुमार की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 483 बी.एन.एस.एस. इस शर्त पर स्वीकार किया जाता है कि यदि प्रत्येक प्रार्थी/अभियुक्त पच्चीस हजार रुपये की राशि का स्वयं का मुचलका एवं पच्चीस हजार रूपये की एक सुदृढ़, मौतबीर व स्थानीय जमानत न्यायालय के संतोषप्रद पेश कर तस्दीक करा दें कि वह नियमित तारीख पेशी पर उपस्थित होता रहेगा, अनुसंधान में पूर्ण सहयोग प्रदान करेगा, प्रकरण से संबंधित साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा, न्यायालय की अनुमति के बिना भारत नहीं छोड़ेगा तथा किसी प्रकार की आपराधिक गतिविधियों में शामिल नहीं होगा तो उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया जावें।

10. आदेश आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Vidyanand

(विद्यानन्द शुक्ला)
विशिष्ठ न्यायाधीश,
अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति
(अत्याचार निवारण) प्रकरण,जयपुर जिला जयपुर
(अति0 सेशन न्यायाधीश,क्रम–2, जयपुर जिला जयपुर)